न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 03/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 02.02.2015

श्रीमति सावित्री देवी गोयल पत्नि श्री मोहन लाल गोयल निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीया

बनाम

सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक एवं राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड बांसवाडा, मुख्यालय निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 5 जी (5) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम बमामले प्रकरण संख्या 159/2013 दिनांक 20.06.2014 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थितिः– 1–श्री शान्तिलाल बसेर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 197–350 से 227–000 तक चित्तौड़गढ़–निम्बाहेड़ा– नीमच खण्ड (मध्यप्रदेश सीमा तक, निम्बाहेड़ा बाईपास सहित) के निर्माण (चौड़ा करने पेव्ड शोल्डर सहित चारलेन का बनाने) हेतु प्रार्थीया के खातेदारी की गांव लक्ष्मीपुरा की आराजी नम्बर 118 व 119 में से कुलिया 0.17 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त करते हुए राशि 7,93,602/–रूपये के मुआवजे का एवार्ड आदेश दिनांक 20.06.2014 को पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थीया ने पारित एवार्ड आदेश के विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 03/2015 (रा.अ.)
श्रीमति सावित्री देवी गोयल निवासी निम्बाहेड़ा बनाम सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक

अधिवक्ता प्रार्थीया ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व की कृषि भूमि गांव लक्ष्मीपुरा मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर उसका बाजार दर अनुसार मुआवजा तय नहीं किया अपितु डी. एल. सी. दर को आधार बताकर मुआवजा राशि तय की गई है जो कि बाजार दर से बहुत कम है। सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत क्लेम अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की है। बाजार दर अनुसार नलकूप 2.00 लाख रूपये से अधिक है तथा भूमि की कीमत भी मुख्य सड़क पर होने से 25.00 लाख रूपये से अधिक है जिस पर सोलिशियम व ब्याज राशि अवार्ड में दी जानी चाहिए जो कि नही दी और नियमानुसार अवार्ड पारित न कर मन माफिक रूप से अवार्ड पारित किया। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को उसकी जमीन का मुआवजा बाजार दर के अनुसार तय किया जाकर मुआवजा राशि दिलायी जावे।

विपक्षी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीया को उसकी अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.17 हैक्टेयर का राजस्व रेकार्ड एवं निर्माण एवं संरचनाओं के निर्माण अनुसार निर्धारित दर से एवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थीया को नलकूप की मुआवजा राशि मौका रिपोर्ट के मुताबिक 1,53,946/-रूपये तथा वृक्षों की कीमत 29,885/-रूपये जिस पर राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडते हुए मुआवजे का भुगतान किया गया है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म एवं नियमानुसार भूमि, भूमि पर बने निर्माण, पेड-पौधों आदि संपरिवर्तन अनुसार जिला कमेटी द्वारा तय दर (डी. एल. सी.) पर मूल्यांकनकर्ता की वैल्युवेशन रिपोर्ट अनुसार ही नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण कर जिन्स गिरदावरी का राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया तत्पश्चात् सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया गया, तदुपरान्त दोनों अधिकारियों की सर्वे रिपोर्ट सही व तथ्यात्मक होने पर भूमि की किस्म के अनुसार एवं जिन्स गिरदावरी का मिलान कर वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डी. एल. सी.) का तीन गुणा राशि से ही राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडते हुए एवार्ड जारी किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उप पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा बाजार दरों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित भूमियां होने से उसे बाजार दर (डी. एल.सी.) से तीन गुणा करके ही बाजार दरें प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रार्थीया को उसकी ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित अवाप्ताधीन भूमि का बाजार दर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से तीन गुणा करके 31625/-रू. प्रतिएयर से भुगतान किया गया है। प्रार्थीया ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर अपने मन मकसूद तरीके से मुआवजा राशि की मांग की है जो स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा ने सक्षम प्राधिकारी के यहां जरिये पत्रांक/पंजी. /13/175 दिनांक 16.12.2013 से बाजार दरों (डी.एल.सी.) का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 0-100 की परिधि में स्थित भूमियों का ही विवरण प्रस्तुत किया है जो कि प्रचलित दर से तीन गुणा की हुई दरें हैं। अतः प्रार्थीया को उसकी कृषि भूमि का तीन गुणा दर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है।

जहां तक नलकूप एवं वृक्षों आदि संरचनाओं का मुआवजा कम देने/नहीं देने का प्रश्न है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है तथा जिसका सिंचित कृषि भूमि की 3 गुणा दर से अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोडते हुए प्रार्थीया को मुआवजा भुगतान किया गया है।

साथ ही प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ कार्यालय में तथा इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसकी भूमि की कीमत 25.00 लाख रूपये होने तथा भूमि पर स्थित संरचनाओं जिनका प्रार्थीया को मुआवजा भुगतान किया गया है उससे अधिक संरचनाऐं स्थित हो तथा उसे कम मुआवजा दिया गया हो, कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित एवार्ड आदेश दिनांक 20.06.2014 विधि-सम्मत् होकर एवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीया का आवेदन खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official